रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-09022022-233262 CG-DL-E-09022022-233262

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 81] No. 81।

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 9, 2022/माघ 20, 1943 NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 9, 2022/ MAGHA 20, 1943

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2022

सं. एन-12/13/01/2019-यो. एवं वि.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने क.रा.बी.अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत 'क. रा. बी. निगम कोविड-19 राहत योजना' को अधिनियम की धारा 2(9) के अंतर्गत व्याप्त कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपाय के रूप में भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग III खण्ड-4 (क्रम सं. 331) दिनांक 13.08.2021 में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया जो दिनांक 24.03.2020 से 2 वर्ष की अविध के लिए प्रभावी थी।

अब कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने योजना की पात्रता शर्त को निम्नानुसार शिथिल करने का निर्णय किया है:-

"मृतक बीमाकृत व्यक्ति को कोविड-19 रोग के निदान की तिथि पर रोजगार में होना चाहिए और कोविड-19 रोग जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई के निदान के ठीक पिछले अधिकतम एक वर्ष की अवधि के दौरान उसके संबंध में कम से कम 35 दिनों के लिये अंशदान का भुगतान किया गया हो अथवा देय हो।"

868 GI/2022 (1)

अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर, इसके संबंध में किसी भी व्यक्ति से कोई आपित्त अथवा सुझाव प्राप्त होने पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा विचार किया जाएगा। आपित्तयाँ अथवा सुझाव, यदि कोई हों, तो उन्हें श्री एस. बिस्वास, बीमा आयुक्त, (ईमेल पता:dir-pnd@esic.nic.in) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, नई दिल्ली 110002 को संबोधित किया जाए।

एस. बिस्वास, बीमा आयुक्त (यो. एवं वि.) [विज्ञापन-III/4/असा./635/2021-22]

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2022

No. N-12/13/01/2019-P&D. – In exercise of the powers conferred upon it under sub-section (1) of section 97 of the Employees' State Insurance Act 1948 (34 of 1948), the Employees' State Insurance Corporation had notified 'ESIC COVID-19 Relief Scheme' under Section 19 of ESI Act as a welfare measure for employees covered under Section 2(9) of the Act, vide notification published in Gazette of India (Extraordinary) Part III Section – 4 (Sl. No. 331) dated 13.08.2021 for a period of 2 years w.e.f. 24.03.2020.

Now the Employees' State Insurance Corporation has decided to relax the eligibility condition of the scheme are as under:-

"The deceased Insured Person must have been in employment on the date of diagnosis of COVID-19 disease and contributions for at least 35 days should have been paid or payable in respect of him / her during a period of maximum one year immediately preceding the diagnosis of COVID-19 disease resulting in death."

Any objection or suggestions, which may be received from any person in respect of notification within a period of thirty (30) days from the date of publication, will be considered by the Employees' State Insurance Corporation. The objections and suggestions, if any, may be addressed to Shri S Biswas, Insurance Commissioner, (e-mail Id: dir-pnd@esic.nic.in) Employees' State Insurance Corporation, Panchdeep Bhawan, CIG Marg, New Delhi 110002.

S. BISWAS, Insurance Commissioner (P&D) [ADVT.-III/4/Exty./635/2021-22]